रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052021-226996
CG-DL-E-15052021-226996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1731] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 2021/वैशाख 25, 1943
No. 1731] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 2021/VAISAKHA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2021

का.आ. 1858 (अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अधिसूचना सं. 19/2015–20 दिनांक 5 अगस्त 2017; अधिसूचना सं. 22/2015–20 दिनांक 21 अगस्त 2017; अधिसूचना का.आ. 1266(अ) दिनांक 19 मार्च, 2021; और अधिसूचना का.आ. 1372(अ) दिनांक 26 मार्च, 2021 के अधिक्रमण में एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 की निम्नलिखित मदों की आयात नीति में तत्काल प्रभाव से और 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार संशोधन करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति
0713 60 00	तूर/पीजन पीज (कजानस कजन)	प्रतिबंधित	मुक्त
0713 31 90	मूंग [एसपीपी विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक के बीन्स]	प्रतिबंधित	मुक्त
0713 3110	उड़द [एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर के बीन्स]	प्रतिबंधित	मुक्त

2. इसके अलावा, ऊपर वर्णित तीन मदों के आयात के लिए लदान बिल 31 अक्टूबर, 2021 को अथवा उससे पूर्व जारी किया जाना चाहिए और ऐसी खेप के आयात की सीमा शुल्क विभाग से निकासी 30 नवम्बर, 2021 को अथवा उससे पूर्व किए जाने की आवश्यकता होगी।

3. **अधिसूचना का प्रभावः** तूर/पीजन पीज (कजानस कजान), मूंग ख्एसपीपी विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक के बीन्स, और उड़द ख्एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर, की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से और 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए "प्रतिबंधित" से संशोधित कर "मुक्त" किया गया है। इसके अलावा, 31 अक्टूबर, 2021 को अथवा उससे पूर्व जारी किए गए लदान बिल के साथ इन मदों की अयात खेप को सीमा शुल्क विभाग द्वारा 30 नवम्बर, 2021 के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।

[फा. सं. 14/1/2021–ईपी (एग्री–III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015–20 दिनांक 17 जनवरी, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण में सा.आ. 172(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित हुई थी और अंतिम रूप से यह का.आ. 1266(अ) दिनांक 19 मार्च, 2021 और का.आ. 1372(अ) दिनांक 26 मार्च, 2021 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May 2021

S.O. 1858(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government, in supersession of Notification No.19/2015-20 dated 5th August, 2017; Notification No.22/2015-2020 dated 21st August, 2017; Notification S.O. 1266(E) dated 19th March, 2021; and Notification S.O. 1372(E) dated 26th March, 2021, hereby amends the import policy of the following items of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) with immediate effect and for the period up to 31st October 2021, as under:

Exim Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import policy
0713 60 00	Tur /Pigeon Peas (Cajanus Cajan)	Restricted	Free
0713 31 90	Moong [Beans of the SPP Vigna Radiata (L.) Wilczek]	Restricted	Free
0713 3110	Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper]	Restricted	Free

2. Further, for import of the above-mentioned three items, Bill of Lading should be issued on or before 31st October, 2021 and import of such consignment shall need to be cleared from Customs on or before 30th November, 2021.

3. **Effect of the Notification:** Import policy for Tur /Pigeon Peas (Cajanus Cajan); Moong [Beans of the SPP Vigna Radiata (L.) Wilczek] and Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] is revised from "Restricted" to "Free" with immediate effect and for the period up to 31st October 2021. Further, import consignments of these items with Bill of Lading issued on or before 31st October, 2021 shall not be allowed by Customs beyond 30th November 2021.

[F. No. 14/1/2021-EP(Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020 dated the 17thJanuary, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended vide S.O. No. 1266 (E) dated 19th March 2021 and last amended vide S.O. No. 1372(E) dated 26th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.15 17:36:57 +05'30'